माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–14.10.2026 (बुधवार) को बिहार राजस्व कर्मचारी संघों के लंबित माँगों को लेकर उनके प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्त्ता बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–विभागीय वरीय पदाधिकारी, बिहार राजस्व कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों एवं अन्य सदस्य।

2. दिनांक–14.09.2026 को माननीय विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में राजस्व कर्मचारी के संघों के प्रतिनिधियों एवं सदस्यों के साथ वार्ता बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में माननीय मंत्री द्वारा वार्ता बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों एवं संघ के प्रतिनिधियों को संबोधित किया गया।

3. विभागीय वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऐच्छिक विकल्प के आधार पर विभागीय आदेश संख्या–298(4), दिनांक–14.07.2026 द्वारा कुल–3268 राजस्व कर्मचारियों का रैंडमली स्थानांतरण किया गया है। साथ ही विभागीय आदेश संख्या–326(4), दिनांक–23.07.2026 एवं आदेश संख्या–336(4), दिनांक–28.07.2026 द्वारा राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया। स्थानांतरण के फलस्वरूप कुल–2587 राजस्व कर्मचारियों का ऐच्छिक पदस्थापन प्राप्त हुआ। जिन राजस्व कर्मचारियों को ऐच्छिक पदस्थापन नहीं हुआ है, उनको 8054 नये राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति के तत्पश्चात् ऐच्छिक विकल्प प्राप्त करते हुए स्थानांतरण किये जाने का आश्वासन माननीय विभागीय मंत्री द्वारा दिया गया है। साथ ही जिन राजस्व कर्मचारियों की पदस्थापन उक्त प्रक्रिया के तहत गृह जिला से दूर के जिला में पदस्थापन हो गया है, उन से भी 8054 नये राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति के तत्पश्चात् पदस्थापन के समय आवेदन प्राप्त कर समीपवर्ती जिलों में पदस्थापन किये जाने का आश्वासन दिया गया है।

4. राजस्व कर्मचारी द्वारा मूल कोटि के वेतनमान को लेवल–02 से लेवल–05 किये जाने के बिन्दु पर वित्त विभाग से वार्ता के उपरान्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

5. न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने वाले कुल–39 राजस्व कर्मचारियों को वरीयता सह–योग्यता के आधार पर राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद का कार्यकारी प्रभार दिये जाने की सूचना दी गयी एवं 10 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले राजस्व कर्मचारियों को राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद का कार्यकारी प्रभार दिये जाने के निमित्त कालावधि क्षांत करने हेतु 10 दिनों के भीतर संचिका सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजने हेतु माननीय मंत्री द्वारा निदेश दिया गया है।

6. राजस्व कर्मचारियों को एम०ए०सी०पी० तथा सेवा संपुष्टि हेतु अविलम्ब कार्रवाई करने हेतु सभी समाहर्त्ता, बिहार को निदेश दिये जाने एवं सतत् अनुश्रवण विभाग स्तर से किये जाने का निदेश माननीय विभागीय मंत्री द्वारा दिया गया है।

7. कार्य अवधि को छोड़कर अतिरिक्त तथा राजपत्रित अवकाश के दिनों में राजस्व कर्मचारियों से काम लेने के संबंध में राजस्व कर्मचारियों को सूचित किया गया कि 8054 नयी राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति के तत्पश्चात् उक्त बिन्दु पर विभाग द्वारा निर्णय लिये जाने का आश्वासन दिया गया है।

8. क्षेत्र भ्रमण भत्ता एवं इंटरनेट भत्ता राजस्व कर्मचारियों को दिये जाने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा अस्वीकृत किये जाने की सूचना उपस्थित राजस्व कर्मचारी संघों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को दी गयी।

9. राजस्व कर्मचारी का पदनाम परिवर्तित कर सहायक राजस्व अधिकारी के संबंध में माननीय विभागीय मंत्री द्वारा राजस्व कर्मचारी संघों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सूचित किया गया कि राजस्व कर्मचारी के समकक्ष राज्य अन्तर्गत कार्यरत अन्य संवर्गों के कर्मियों के पदनाम परिवर्तन पर बिहार सरकार द्वारा सामुहिक निर्णय के उपरान्त सर्वप्रथम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राजस्व कर्मचारी के पदनाम परिवर्तन पर कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया गया।

10. 8054 नये राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति के तत्पश्चात् राजस्व कर्मचारियों से अतिरिक्त हल्का का प्रभार हटाये जाने का आश्वासन माननीय विभागीय मंत्री द्वारा राजस्व कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों को दिया गया है।

11. राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन के दौरान विवादित मामलों में कार्यस्थल पर आवेदनकर्त्ता एवं भूमि से संबंधित अन्य भू–स्वामी के बीच आपसी विवाद के कारण राजस्व कर्मचारियों पर FIR वरीय पदाधिकारी के अनुश्रवण/जाँच के बाद ही दर्ज किये जाने के संबंध में सभी समाहर्त्ता एवं पुलिस अधीक्षक को विभाग के द्वारा पत्र निर्गत करने का निदेश माननीय विभागीय मंत्री द्वारा दिया गया है।

12. बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली, 2025 के कंडिका–11(i) में निहित्त प्रावधान के तहत सेवा संपुष्टि के निमित्त 31 दिसम्बर–2026 तक राजस्व कर्मचारियों को 08 दिनों का जिला मुख्यालय में एवं 07 दिनों का मुख्यालय में यानि कुल–15 दिवसीय अमानत का प्रशिक्षण करवाने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश माननीय विभागीय मंत्री द्वारा दिया गया है।

13. अंतर जिला स्थानांतरित/पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र दिनांक–10.11.2026 तक निर्गत कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में सभी समाहर्त्ता, बिहार से अनुरोध करने का निदेश दिया जाएगा। साथ ही दिनांक–10.11.2026 तक अंतिम वेतन प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करने वाले अंचलाधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु संबंधित समाहर्त्ता से अनुरोध करने का निदेश माननीय विभागीय मंत्री द्वारा दिया गया है।

साथ ही ऑनलाईन LPC out किये जाने के आधार पर वेतन भुगतान करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

14. "जमाबंदी अद्यतीकरण एवं उत्तराधिकार नामांतरण विशेष अभियान" में आ रही व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के निमित्त राजस्व संबंधी कार्यों के विशेषज्ञ (राजस्व कर्मचारियों) के साथ दिनांक–26.10.2026 को माननीय विभागीय मंत्री स्तर पर बैठक आहूत किये जाने का निदेश दिया गया है।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

26/10/26

(अमित कुमार पाण्डेय)भा०प्र०से०
अपर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–4/क्षे0 स्था0 अमीन (विविध)–18–01/2025–551 (04)/रा0, दिनांक–27/10/26

ई–मेल

प्रतिलिपि :– सभी समाहर्त्ता, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी वरीय पदाधिकारी/कनीय पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/महामंत्री एवं राज्य अध्यक्ष बिहार राज्य भूमि कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा Email. ID-rajaswakcsangh@gmail.com) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

27/10/26

(निरंजन यादव)
सरकार के अवर सचिव